



2026:AHC:21970
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या - 1360 वर्ष 2026

लता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनीं।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया है। उनका चयन 07.11.2009 को स्टाफ नर्स के पद पर हुआ था और उन्होंने 04.12.2009 को कार्यभार ग्रहण किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह संबंधित पद पर नियमितीकरण के लिए उत्तरदायी हैं।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. पीठ पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"